



बिहार सरकार पर्यावरण एवं वन विभाग, “हरियाली मिशन”

कार्यान्वयन अनुदेश -2013-2014

कृषि वानिकी (अन्य प्रजाति के लिए) योजना

योजना क्रमांक :- 06

उद्देश्य

- किसानों के खेतों में वृक्षारोपण को बढ़ावा देना
- ग्रामीणों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना
- राज्य के किसानों की आर्थिक सुदृढ़ीकरण
- हरियाली बढ़ाना एवं पर्यावरण शुद्धिकरण
- बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 15% वृक्ष आवरण के अंतर्गत लाना
- वनोत्पाद आधारित उद्योगों को कच्चे माल उपलब्ध कराकर औद्योगिकरण को बढ़ावा देना

रोड मैप के अनुसार भौतिक लक्ष्य

कृषि वानिकी योजनान्तर्गत आगामी पाँच वर्षों में कुल **239.1** लाख पौधारोपण का लक्ष्य पूरे राज्य में रखा गया है। (आंकड़ा लाख में)

		A	B	C	D	E	
क्र० सं०	वर्ष / लक्ष्य	2012—13	2013—14	2014—15	2015—16	2016—17	कुल
1	अन्य प्रजाति के पौधे	20.1	60	50.5	44.5	64	239.1

किसानों के चयन की प्रक्रिया

आवेदन पत्रों की प्राप्ति

वन प्रमंडल पदाधिकारी / क्षेत्रीय वन पदाधिकारी के कार्यालय

आवेदन के साथ संलग्न कागजात

- 1** भूमि स्वामित्व प्रमाण-पत्र / अद्यतन लगान रसीद की छायाप्रति / राजस्व रसीद / शपथ पत्र-प्रमाण पत्र / घोषणा पत्र।
- 2** बैंक पासबुक की अद्यतन छायाप्रति।

चयन हेतु मुख्य बिंदु

- समाचार-पत्रों में विज्ञापन प्रकाशित कराकर
- वन प्रमंडल पदाधिकारी की अध्यक्षता वाली समिति द्वारा चयन
- कृषकों की अपनी निजी जमीन/लीज पर जमीन होनी चाहिए
- अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं महिला कृषकों को नियमानुसार प्राथमिकता
- वन प्रमंडल पदाधिकारी के द्वारा लाभार्थी कृषकों की सूची मिशन निदेशक, हरियाली मिशन को उपलब्ध कराना

चयन समिति

वन प्रमंडल पदाधिकारी (अध्यक्ष)

जिला कृषि पदाधिकारी (सदस्य)

जिला बागवानी पदाधिकारी (सदस्य)

चयन की प्रक्रिया

- दो हेक्टेयर से अधिक भूमि में ब्लॉक वृक्षारोपण के इच्छुक कृषकों को वरीयता
- कृषक बंधु समूह में भी आवेदन कर सकते हैं
- **“पहले आओ, पहले पाओ”** के आधार पर चयन
- अधिक वृक्ष लगाने वाले को प्राथमिकता
- कृषकों का प्रशिक्षण में भाग लेना अनिवार्य होगा

प्रशिक्षण

- वरीय पदाधिकारियों के लिए एक दिवसीय तकनीकी एवं प्रशासनिक ओरियेन्टेशन प्रशिक्षण कार्यक्रम
- वन प्रमंडल स्तर पर मास्टर ट्रेनर को तकनीकी एवं प्रशासनिक जानकारी
- जिला स्तर पर प्रशिक्षित मास्टर ट्रेनर तथा वन प्रमंडल पदाधिकारी द्वारा लाभुक किसानों को एक दिवसीय प्रशिक्षण
- वनपाल एवं वनरक्षी को पौधा रोपण, रख-रखाव, तैयारी एवं उपचार के लिए विस्तृत रूप से प्रशिक्षण
- अनुश्रवण, मूल्यांकन एवं रिपोर्टिंग के लिए विशेष प्रशिक्षण

स्रोत / उत्पादन

- मुख्यमंत्री निजी पौधशालाओं से गुणवत्ता युक्त पौधों की प्राप्ति
- राज्य के कृषि विश्वविद्यालय, ICFRE, ICAR तथा राज्य के विभागीय पौधशाला से उच्च कोटि के गुणवत्ता युक्त पौधों की प्राप्ति

कार्य विवरण

कृषक बंधुओं के द्वारा ही कृषि वानिकी रोपण संबंधी सभी कार्य किये जाएंगे

प्रजातियों का चयन

(क) उत्तरी बिहार –

- वंसतकालीन वृक्षारोपण हेतु

पॉप्लर, गम्हार, कदम्ब, सेमल, अर्जुन, सागवान, शीशम, जामुन, करंज आदि

- वर्षाकालीन वृक्षारोपण हेतु

शीशम, गम्हार, सागवान, महोगनी, नीम, करंज, यूकेलिप्टस, आम, लीची, अमरूद, बबूल, बांस, सुपारी आदि

(ख) दक्षिण बिहार

- वर्षाकालीन वृक्षारोपण हेतु

सिरिस, सेमल, आंवला, कटहल, महुआ, बांस, शीशम, गम्हार, सागवान, महोगनी, नीम, करंज, यूकेलिप्टस, जामुन, आम, लीची, अमरूद आदि

कृषकों को देय लाभ

■ देय राशि का भुगतान निम्नवत 03 किस्तों में

➤ 50 प्रतिशत से अधिक उत्तरजीविता होने पर ही प्रोत्साहन राशि का भुगतान

1 प्रथम वर्ष के अंत में रुपये 15/— प्रति पौधा

2 दूसरे वर्ष के अंत में रुपये 10/— प्रति पौधा

3 तीसरे वर्ष के अंत में रुपये 10/—प्रति पौधा

➤ प्रोत्साहन राशि का भुगतान शिविर लगाकर चेक/ड्राफ्ट के माध्यम से किया जायेगा।

नोट

- यदि प्रथम से द्वितीय किस्त के रूप में द्वितीय पक्ष को अतिरेक राशि का भुगतान हो गया हो तो अंतिम किस्त की राशि भुगतान करते समय पूर्व में भुगतेय ऐसी राशि का समायोजन करने के पश्चात् ही अंतिम किस्त का भुगतान किया जायेगा।

विभाग के पदाधिकारियों / अधिकारियों / कर्मियों के कर्तव्य एवं दायित्व

- हरियाली मिशन मुख्यालय, क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, वन संरक्षक, वन प्रमंडल पदाधिकारी, वनों के क्षेत्र पदाधिकारी, वनपाल, वनरक्षी अपने कार्य क्षेत्र के अंतर्गत इस योजना के लिए पूर्णरूपेण जिम्मेदार होंगे
- संबंधित पदाधिकारी इस योजना का प्लान एवं लक्ष्य के आधार पर पौधे प्राप्त एवं लाभुकों का चयन करेंगे
- कृषकों को प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय किस्त का भुगतान
- योजना से संबंधित अन्य कार्य निर्धारित समय—सीमा के अनुरूप करवाना सुनिश्चित करेंगे

वन संरक्षक

- कृषकों का चयन समय पर कराने हेतु चयन समिति की बैठक करवाना
- नर्सरी से पौधों को स-समय वन प्रमंडल पदाधिकारी को उपलब्ध करवाना
- पौधा रोपण के बाद औचक निरीक्षण करना
- विवाद को सुलझाना/मुख्यालय को सूचित करना
- हरियाली मिशन मुख्यालय द्वारा दिये गये दिशा-निर्देशों का पालन करवाना एवं उसकी समय-समय पर कार्य प्रगति का विवरण मुख्यालय को उपलब्ध करवाना

वन प्रमंडल पदाधिकारी

- निजी पौधशाला अथवा विभागीय पौधशाला से पौधा प्राप्त कर सुरक्षित वन क्षेत्र कार्यालय तक पहुंचवाना
- आवेदन-फार्म जमा करवाना एवं किसानों के चयन हेतु वन संरक्षक को सूची उपलब्ध कराना
- प्रशिक्षण के लिए तिथि सुनिश्चित करना एवं परिसर का इंतजाम करवाना
- प्रोत्साहन राशि का चेक/ड्राफ्ट वनों के क्षेत्र पदाधिकारी को उपलब्ध करवाना
- वितरित चेक/ड्राफ्ट और अवितरित चेक/ड्राफ्ट का विवरण मुख्यालय को उपलब्ध कराना
- रेडम चेकिंग करना

वनपाल / वनरक्षी

- जीवित पौधों की गणना कर वनों के क्षेत्र पदाधिकारी को सूचित करना
- लाभुको को तकनीकी जानकारी देना एवं कृषि वानिकी की सुरक्षा में सहायता करवाना
- वनों के क्षेत्र पदाधिकारी के साथ पौधों का वितरण करना
- जमीन के खतिहान / खेसरा / रसीद की जांच में मदद करना
- पौधारोपण में दिक्कत आने पर क्षेत्र पदाधिकारी को सूचित करना ।

वनों के क्षेत्र पदाधिकारी

- संलग्न कागजात की जाँच करना
- पौधारोपण के लिए पौधे समय पर वितरित करना
- लाभुकों/किसानों के बीच प्रोत्साहन राशि का वितरण करना
- वितरित चेक और अवितरित चेक का विवरण वन प्रमंडल पदाधिकारी को देना
- किसानों का प्रशिक्षण जिला स्तर पर करवाना
- किसी भी प्रकार का विवाद होने पर वन प्रमंडल पदाधिकारी को सूचित करना

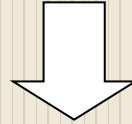
लक्षित जिला

बिहार के सभी जिले

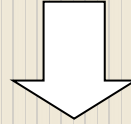


फलो चार्ट

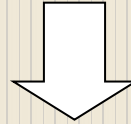
वन प्रमंडल पदाधिकारी/वनों के क्षेत्र पदाधिकारी के द्वारा आवेदन की प्राप्ति



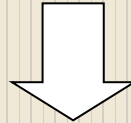
लाभार्थी कृषकों की सूची तैयार करना



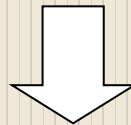
सूची के अनुसार जमीन का भौतिक सत्यापन



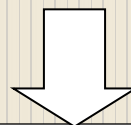
अंतिम सूची की तैयारी वन प्रमंडल पदाधिकारी को समर्पित करना



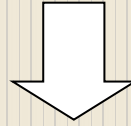
समिति द्वारा लाभुकों का चयन करना



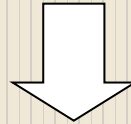
वन प्रमंडल पदाधिकारी द्वारा सूची के आधार पर स्वीकृत्यादेश निर्गत करना



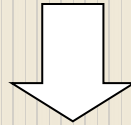
लाभुकों द्वारा गडढ़ों की खुदाई करना



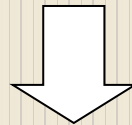
पौधारोपण के लिए पौधों की आपूर्ति



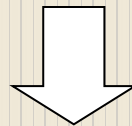
लगाये गये पौधों का सत्यापन



रैंडम चेकिंग



सहायतानुदान राशि का चेक वन प्रमंडल पदाधिकारी / वनों के क्षेत्र पदाधिकारी को
उपलब्ध करना



वन प्रमंडल परिसर में शिविर लगाकर चेकों का वितरण

प्री ऑडिट चेक लिस्ट

- वन प्रमंडल पदाधिकारी / वनों के क्षेत्र पदाधिकारी द्वारा लाभुकों की सत्यापित सूची तैयार करना
- स्वीकृत्यादेश की प्रति
- कार्य निष्पादित क्षेत्र का फोटो शपथ-पत्र
- व्यय विवरणी
- स्वीकृत्यादेश में स्वीकृत रकमे के अनुरूप सत्यापन एल0 पी0 सी0 / लीज कागजात / किराया रसीद (राशि भुगतान की प्रति)

अनुश्रवण

क्र०	पदाधिकारियों का नाम	पदनाम	प्रमंडल
1.	श्री दीपक कुमार	परियोजना प्रबंधन पदाधिकारी	पटना, नालन्दा, अररिया
2.	श्री चाँद रहमानी	प्रोग्राम मैनेजर, वित्तीय	बेगूसराय, मिथिला
3.	श्री नवल किशोर राजू	प्रोग्राम मैनेजर, ग्रामीण	पूर्णियाँ, सहरसा
4.	श्री अरविन्द कुमार	प्रोग्राम मैनेजर, वानिकी	मुजफ्फरपुर, सारण
5.	श्री संजीव रंजन	तकनीकी पदाधिकारी, वानिकी	गया, नवादा, औरंगाबाद
6.	श्री राजीव कुमार	तकनीकी पदाधिकारी, वानिकी	जमुई, बाँका, मुंगेर
7.	श्री विपिन कुमार	तकनीकी पदाधिकारी, कृषि वानिकी	भोजपुर, रोहतास, कैमूर
8.	श्री निखिल रंजन कुमार	सांख्यिकी पदाधिकारी	गोपालगंज, मोतिहारी, बेतिया-1, बेतिया-2

टाईम लाईन (कृषि वानिकी-अन्य प्रजातियों के लिए)

[illegible]

कृषि वानिकी (अन्य प्रजाति के लिए) योजना

प्रपत्र-06/01

आवेदक का नाम _____ पिता/पति का नाम _____ पता _____ वन प्रमंडल का नाम _____ प्रखंड का नाम _____ पिन नं० _____ लिंग—पुरुष/महिला _____ कोटि— अनुसूचित जनजाति ☐ अनुसूचित जाति ☐ पिछड़ा वर्ग ☐ विकलांग ☐ पौधशाला स्थल की विवरणी :-	कार्यलय उपयोग हेतु किसान विशिष्ट पहचान संख्या — HAR/ योजना जिला प्रखंड क्र.सं. वर्ष वन क्षेत्र का नाम _____ जिला का नाम _____ मोबाईल नं० _____ पिछड़ा वर्ग महिला ☐ अत्यंत पिछड़ा वर्ग ☐ अल्पसंख्यक ☐ सामान्य ☐
--	---

क्र०	जमीन मालिक का नाम/जमीन का पता	खाता नं०	खेसरा नं०	रकबा (एकड़ में)

सिंचाई की सुविधा — राजकीय नहर ☐ नलकूब ☐ निजी पंपिंग सेट ☐ अन्य ☐

घोषणा

मैं एतद् घोषणा करता /करती हूँ कि इस आवेदन में ऊपर दी गयी सूचनाएं सत्य एवं सही हैं। पौधे आवंटित होने पर मैं पूरी मेहनत एवं लगन से पौधारोपण करूँगा/करूँगी एवं मिशन/वन विभाग के सभी नियमों/निर्देशों का अनुपालन करूँगा/करूँगी। ऊपर में दी गयी सभी जानकारी/कालान्तर में उक्त सूचना गलत सिद्ध होती है तो इसके लिए मैं जिम्मेवार होऊँगा/होऊँगी और मैं मानता/मानती हूँ कि मेरे विरुद्ध वैधानिक/दंडात्मक कार्रवाई करते हुए मेरे आवेदन एवं आवंटन को रद्द किया जा सकेगा। इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। मैं विभाग के सभी नियमों का पालन करने के लिए तैयार हूँ।

स्थान :-

दिनांक :-

आवेदक का हस्ताक्षर एवं पूरा नाम

नोट :- आवेदन-पत्र के साथ सभी प्रमाण-पत्रों/कागजातों की केवल छायाप्रति संलग्न करें :-

- (1) एल० पी० सी०/प्रस्तावित जमीन का अद्यतन रसीद/ लीज पर लिया गया जमीन की छायाप्रति/राजस्व रसीद/शपथ पत्र-प्रमाण पत्र/घोषणा पत्र।
- (2) पासबुक की अद्यतन छायाप्रति।

प्राप्ति रसीद

श्रीमान्/श्रीमती पिता/पति का नाम
वन प्रमंडल का नाम वन क्षेत्र का नाम प्रखंड का नाम
जिला का नाम पिन कोड- । कृषि वानिकी (अन्य प्रजाति के लिए)
स्थापित करने हेतु आवेदन-पत्र प्राप्त किया गया, जिसकी आवेदन पत्र क्रमांक है।
स्थान :-
दिनांक :- प्राप्तकर्ता का हस्ताक्षर पूरा नाम एवं
पदनाम ।

योजना का नाम :- कृषि वानिकी (अन्य प्रजाति के लिए) योजना
प्रपत्र.06/02 (2013-14)

वन प्रमंडल पदाधिकारी, कार्यालय

प्रमंडल का नाम :- जिला का नाम :-

[illegible]

आदेश

कृषि वानिकी (अन्य प्रजाति के लिए) योजना
प्रपत्र-06/03 (2013-14)

प्रेषक,

वन प्रमंडल पदाधिकारी,
वन प्रमंडल

सेवा में,

.....
.....

विषय :- कृषि वानिकी (अन्य प्रजाति के लिए) ससमय रोपण कार्य न करने एवं शर्तों का अनुपालन नहीं करने पर स्वीकृत्यादेश रा करने के संबंध में।

दिनांक :-

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपको पत्रांक—..... दिनांक —

के द्वारा सूचित किया गया था कि आप ससमय वन प्रमंडल पदाधिकारी कार्यालय में उपस्थित होकर अपना आवंटित पौधा प्राप्त कर लें। पौधा ससमय प्राप्त न करने और शर्तों का अनुपालन नहीं करने के कारण इस कार्यालय द्वारा निर्गत स्वीकृत्यादेश रा किया जाता है।

स्वीकृत्यादेश
वन प्रमंडल पदाधिकारी
..... वन प्रमंडल

प्रपत्र-06/04 (2013-14)
कृषि वानिकी (अन्य प्रजाति के लिए) योजना
भुगतान हेतु आवेदन-पत्र एवं स्वीकृति-पत्र

सेवा में ,
वन प्रमंडल पदाधिकारी :-
वन प्रमंडल :-

कार्यालय उपयोग हेतु किसान विशिष्ट पहचान संख्या -			
HAR/			
योजना	जिला वर्ष	प्रखंड	00 सं0

किसान हेतु

महाशय,
मैं पिता/पति वन प्रमंडल वन क्षेत्र जिला .
..... मेरे द्वारा कृषि वानिकी (अन्य प्रजाति के लिए) योजनातर्गत पौधों का रोपण किया गया है। मेरे द्वारा कुल
..... पौधें प्राप्त किये गए। जिसमें प्रथम किस्त हेतु कुल..... पौधें स्वस्थ, जीवित एवं निर्धारित
मापदंडों के अनुसार पाये गये हैं। अतः मुझे प्रथम किस्त देने की कृपा करें।

विश्वासभाजन
(किसान का हस्ताक्षर एवं पूरा नाम या बायें हाथ के अंगूठे का निशान)

.....

कार्यालय द्वारा जाँच-पत्र

उपर्युक्त दिये गये किसान द्वारा प्रथम किस्त भुगतान हेतु आवेदन-पत्र के आधार पर मेरे द्वारा नाम
पदनाम जाँच किया गया, जाँच में इनकी पौधों की कुल पौधे स्वस्थ एवं उच्च
गुणवत्ता वाले एवं निर्धारित मापदंड के अनुसार पौधे पाये गये।

विश्वासभाजन
(जाँचकर्ता का हस्ताक्षर)

नाम —

पदनाम —

दिनांक —

वन प्रमंडल पदाधिकारी हेतु

उपर्युक्त जाँच में पाया गया की किसान द्वारा स्थापित किये गये कृषि वानिकी (अन्य प्रजाति के लिए) में स्वस्थ एवं उच्च गुणवत्ता वालेपौधे निर्धारित मापदंड अनुसार पाये गये जो रुपये प्रति पौधे की दर से कुल रुपये का भुगतान ड्राफ्ट नं०- दिनांक - को निर्गत किया जा रहा है।

प्राप्तकर्ता का हस्ताक्षर :-

या अंगूठे का निशान

वन प्रमंडल पदाधिकारी

प्रमंडल -

जिला -

धन्यवाद